



Registered under Madhya Pradesh Co-Operative Act. 1960 Registration No. 346/SHR/66

THE INSURANCE EMPLOYEES CREDIT CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED, BHOPAL

Registered Office : LIC of India ,Divisional Office Campus,60-A Arera Hills,Jail Road Bhopal (M.P.)
Website : <http://www.ieccsbhopal.org>, E-mail: ieccsbhopal2015@gmail.com, Phone : 0755-2558388

परिपत्र / 2017 / 06

दिनांक 19.06.2017

प्रिय सदस्यगण,

सर्वप्रथम स्वर्ण जयंती समारोह की अविश्वसनीय सफलता के लिए समस्त कार्यकारिणी आपका व आपके सभी परिवार जनों का आभार प्रदर्शित करती है। लगातार हो रही सदस्य संख्या व आय में वृद्धि इसका परिचायक है। एक ओर सावधि जमा योजना व मासिक अल्पावधि जमा योजना में शानदार प्रतिक्रिया प्राप्त हुई, वहीं दूसरी ओर ऋणों के प्रति सदस्यों के रुझान से संस्था की आय में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।

गत अनेक वर्ष से लम्बित यू.टी.आई / केनरा बैंकों आदि निवेशों के प्रमाण पत्रों को प्राप्त कर लगभग 21 लाख की निवेशित राशि को भुनाने की प्रक्रिया माह—जनवरी 2017 में कार्यकारिणी द्वारा आरम्भ की गई थी। जिसके अंतर्गत कुल भौतिक रूप से प्राप्त लगभग 17 लाख के शेयर अथक प्रयासों के पश्चात भुना लिये गये हैं। जिसकी राशि 52,38,436 /— संस्था के खाते में लाभ के रूप में प्राप्त हो चुकी है। संस्था इस कार्य हेतु संस्था के सभी कर्मचारियों तथा तकनीकी सहयोग हेतु श्री यदु चौहान व सभी कार्यकारिणी सदस्यों की आभारी रहेगी। लगभग 4 लाख के शेयर प्रमाण पत्र अप्राप्त है, जिनको प्राप्त करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गयी है, आशा है, शीघ्र ही यह राशि भी संस्था के खाते में प्राप्त होगी।

प्रिय सदस्यगण जैसा की आप सभी जानते हैं कि वर्तमान बैंकिंग प्रक्रिया धीरे-धीरे सख्त होती जा रही है। सहकारी संस्थाएँ भी इस प्रभाव से दूर नहीं हैं। ऋणदाता संस्था की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा ऋण राशि वसूली का न होना है। समय पर ऋण एवं ब्याज की वापसी न होना संस्था के सदस्यों के लाभांश पर विपरीत असर तो डालता है, साथ ही संस्था की प्रगति में रुकावट भी डालता है। विगत 10 वर्षों में संस्था का कोई भी ऋणग्राहिता डिफाल्टर नहीं है। यह संस्था की उत्तम कार्य गुणवत्ता का परिचायक है, किन्तु इसके बावजूद भी कार्यकारिणी का आप सभी सम्माननीय सदस्यों से अनुरोध है, कि किसी भी ऋण आवेदन पर गारंटर व श्योरिटी के रूप में हस्ताक्षर करने से पूर्व ऋणग्राहिता को जाँच परख ले अन्यथा डिफाल्टर होने की स्थिति में ऋण की देनदारी कानूनन रूप से गारंटर व श्योरिटी पर आरोपित की जाना सुनिश्चित है। आप सभी के अपार सहयोग से संस्था की आय में लगातार वृद्धि हो रही है। किन्तु आय व निवेश का सामंजस्य होना संस्था की प्रगति के लिए अत्यधिक आवश्यक है, सभी स्रोतों को मिलाकर हमारा रेमिटेन्स प्रतिमाह लगभग 50 लाख रू. हो गया है। जो कि आप सभी के सहयोग का सुखद परिणाम है। कार्यकारिणी द्वारा यह देखा गया है कि विभिन्न ऋण आवेदनों व जमा योजनाओं के भुगतान के बाद बैंक खाते में अधिशेष अधिक प्रतीत हो रहा है। जिसका निवेश ऋण योजना के रूप में किया जाना आवश्यक है अतः कार्यकारिणी ने यह निर्णय लिया है कि स्वर्ण जयंती वर्ष के अंतर्गत नए ऋण के रूप में “स्वर्ण जयंती ऋण” आरंभ किया जाए, जो सदस्यों की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति करेगा इस ऋण की मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार होगी :-

1. ऋण का नाम:- “स्वर्ण जयंती ऋण”
2. ऋण की राशि:- सात लाख (एक मुश्त)
3. समायोजन :- कोई समायोजन नहीं किया जाएगा ।


4. अवधि :- 84 माह
5. ब्याज :- 11 प्रतिशत
6. टेक होम पे :- ऋण आवेदन तिथी पर 30000/- प्रतिमाह
7. सेवा अवधि :- 10 वर्ष
8. सदस्यता अवधि :- 10 वर्ष
9. प्रतिमाह स्वीकृत ऋण संख्या:- 2 अधिकतम

आप सभी सम्माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि फिक्स डिपोजिट एवं रिकरिंग डिपोजिट स्कीम में निवेश के साथ ही आयकर फार्म 15 जी. अनिवार्य रूप से भरकर संस्था कार्यालय में जमा करें जो कि सी.बी.टी.डी. के नोटिफिकेशन नं. 76/2015/फार्म नं. 133/50/2015-टी.पी.एल. दिनांक 29.09.2015 के अनुपालन के लिए आवश्यक एवं अनिवार्य है व आयकर अधिनियम की धारा 197 ए. में समावेशित भी है। फार्म सोसायटी की वेबसाइट व सोसायटी कार्यालय में उपलब्ध है। जिन सदस्यों का इन दोनों स्कीम में निवेश है उन सभी से अनुरोध है कि शीघ्रातिशीघ्र कार्यालय से फार्म प्राप्त कर जमा करने का कष्ट करें। जिससे अंतिम भुगतान में समस्या न हो।

माह सितम्बर 2017 में वार्षिक आम सभा का आयोजन किया जाना है, आप सभी के बहुमूल्य सुझाव आमंत्रित है। गत वर्ष से कार्यकारिणी द्वारा यह निर्णय लिया गया है, कि प्रति वर्ष विभिन्न क्षेत्रों जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में बोर्ड कक्षाएँ, खेलकूद, सांस्कृतिक, सामाजिक अन्य गतिविधियों में विशेष योग्यता प्राप्त सदस्यों के पुत्र/पुत्रियों को संस्था की ओर से सम्मानित किया जाएगा। वर्ष 2016-17 के सत्र में विशेष उपलब्धता प्राप्त बच्चों के आवेदन पत्र सदस्यगण दिनांक 31.08.2017 से पूर्व संस्था कार्यालय में श्री अनीसियस अथवा देवेन्द्र शाक्या के पास प्रमाण के साथ प्रस्तुत करें। प्रत्येक क्षेत्र में प्रमाण पत्र के आधार पर उत्कृष्टतम दो आवेदकों को पुरस्कृत किया जाएगा। कृपया नियत तिथि पर अपना आवेदन प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत करें तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। वार्षिक आमसभा की तिथि व समय निर्धारित कर आप सभी को शीघ्र सूचित किया जाएगा। समाजिक दायित्व के निर्वहन हेतु 15 अगस्त 2017 को कोलार रोड स्थित “अपना घर” वृद्धा आश्रम में कम्बल दान करने का निर्णय कार्यकारिणी द्वारा लिया गया है। सभी सदस्य इस कार्यक्रम में भागीदारी के लिए सादर आमंत्रित है, समय प्रातः 10 बजे निर्धारित है।

शुभकामनाओं एवं सहयोग की आशा के साथ।

समस्त कार्यकारिणी की ओर से



अध्यक्ष
(संजय कुमार तिवारी)